रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072023-247590
CG-DL-E-25072023-247590

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3177] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2023/श्रावण 3, 1945
No. 3177] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945

India Code

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2023

**का.आ. 3319(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुडूचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1. डॉ. एम. द्वारकानाथ, अध्यक्ष;
   ई-701, श्री दक्ष ह्वीवा अपार्टमेंट, तेलुंगुपालयम पिरिवु, पेरूर मेन रोड, कोयंबटूर-641026 ।
2. डॉ. वी. रविचंडीराणे, सदस्य;
   सह आचार्य और अध्यक्ष, जन्तु विज्ञान विभाग कांची माम्निवार, सरकारी स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, पुडूचेरी – 605008
3. निदेशक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, सदस्य-सचिव ।
   पूडूचेरी सरकार,
   तीसरी मंजिल, पीएचबी बिल्डिंग, अन्ना नगर,
   पुडूचेरी-605005

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन गठित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन हेतु पुडूचेरी प्रशासन के परामर्श से राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है), पुडूचेरी, का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:--

1. डॉ. के श्रीनिवासमूर्ति — अध्यक्ष;
   आचार्य, भू-विज्ञान विभाग, भौतिक, रसायनिक अनुप्रयुक्त साइंस स्कूल, पुडूचेरी विश्वविद्यालय,
   पुडूचेरी – 605014

2. डॉ. एम. वेलन, — सदस्य;
   सं. 3/18, सातवीं गली, धर्मराजा नगर,
   पोरुर, चेन्नई-600116

3. डॉ. नेहरू कुमार वैथिलिंगम, — सदस्य
   निदेशक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा केंद्र,
   अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर, चिदंबरम-608002

4. डॉ. जी. विजयकुमार, — सदस्य;
   आचार्य, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, पूडूचेरी,
   प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पूडूचेरी-605014

5. डॉ. के.सिवाकुमार, — सदस्य;
   आचार्य,
   पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग,
   पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पूडूचेरी- 605014

6. डॉ. आर. श्रीदर, — सदस्य;
   आचार्य और अध्यक्ष, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, पूडूचेरी, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पूडूचेरी-605014

7. डॉ. एस. गजालक्ष्मी, — सदस्य;
   सह आचार्य, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण इंजीनियरिंग केंद्र,
   पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पूडूचेरी-605014

8. डॉ. ए. शंकरन, — सदस्य;
   सह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, प्रबंधन स्कूल,
   पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पूडूचेरी-605014

9. डॉ. जी. प्रदीप कुमार, — सदस्य;
   सहायक आचार्य, महात्मा गांधी राजकीय कला महाविद्यालय, माहे,
   पूडूचेरी-673310

IndiaCode

10. डॉ. कुमारेसन वडिवेलु, सदस्य;
सहायक आचार्य, वनस्पति विज्ञान, कांची मामुनिवर
राजकीय स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, पूडूचेरी -605008

11. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, पुडूचेरी सरकार, तीसरी मंजिल, पीएचबी बिल्डिंग, अन्ना नगर, पूडूचेरी-605005 सदस्य-सचिव।

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए या समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; और

(2) यदि पिछले पांच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य या समिति ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठकों से अलग रखेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. पुडूचेरी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण पुडूचेरी के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पुडूचेरी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा बनाए गए सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/3/2022-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th July, 2023

**S.O. 3319(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India of the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, hereby constitutes the State/UT Level Environment Impact Assessment Authority for Puducherry (hereinafter referred to as the Authority) comprising of following persons, namely: -

(1) Dr. M. Dwarakanath, Chairman;
E-701, Sree Daksha Hreeva Apartments,
Telungupalayam Pirivu, Perur Main Road,
Coimbatore-641026.

(2) Dr. V. Ravitchandirane, Member;
Associate Professor and Head,
Department of Zoology, Kanchi Mamunivar
Govt. Institute for Postgraduate Studies and
Research, Puducherry-605008.

(3) Director, Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry, 3rd Floor, PHB Building, Anna Nagar, Puducherry-605005. Member – Secretary.

2. The Chairman and Member of the Authority shall hold office for a term not exceeding three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State/UT Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. For the purpose of assisting the Authority, the Central Government, in consultation with Puducherry administration, hereby constitutes the State/UT Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), Puducherry comprising of the following persons, namely: -

(1) Dr. K Srinivasamoorthy, Chairman;
Professor, Department of Earth Sciences,
School of Physical, Chemical and
Applied Sciences, Pondicherry University,
Puducherry-605014.

(2) Dr. M. Velan, Member;
No.3/18, Seventh Street, Dharmaraja Nagar,
Porur, Chennai -600116.

(3) Dr. Nehru Kumar Vaithilingam, Member;
Director, Centre for Environment,
Health & Safety, Annamalai University,
Annamalai Nagar,
Chidambaram -608002.

(4) Dr. G. Vijayakumar, Member;
Professor, Dept. of Civil Engineering,
Puducherry, Technological University,
Puducherry-605014.

(5) Dr. K. Sivakumar, Member;
Professor
Department of Ecology and Environmental
Science, Pondicherry University,
Puducherry -605014.

(6) Dr. R. Sridar, Member;
Professor and Head
Department of Chemical Engineering,
Puducherry, Technological University,
Puducherry-605014.

(7) Dr. S. Gajalakshmi, Member;
Associate Professor, Centre for Pollution
Control and Environmental Engineering,
Pondicherry University,
Puducherry-605014.

IndiaCode

| | | |
|---|---|---|
| (8) | Dr. A. Sankaran,<br>Associate Professor, Department of Economics,<br>School of Management, Pondicherry University,<br>Puducherry-605014. | Member; |
| (9) | Dr. G. Pradeep Kumar,<br>Assistant Professor,<br>Mahatma Gandhi Govt. Arts College, Mahe,<br>Puducherry-673310. | Member; |
| (10) | Dr. Kumaresan Vadivelu,<br>Assistant Professor of Botany,<br>Kanchi Mamunivar Govt. Institute of<br>Postgraduate Studies & Research, Puducherry-<br>605008. | Member; |
| (11) | Senior Scientific Officer, Department of<br>Science, Technology and Environment,<br>Government of Puducherry, 3rd Floor,<br>PHB Building, Anna Nagar,<br>Puducherry-605005. | Member-<br>Secretary. |

6. The Chairman and Members of the Committee, Puducherry shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest,-

(1) The Chairman and members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or association with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which may be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(2) If in the preceding five years, the Chairman or any member of the Authority or the Committee has provided consultancy or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principles of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.

10. The Union territory of Puducherry administration shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and members of the Authority, Puducherry and the Chairman and members of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules made by the Union territory of Puducherry administration.

[F. No. IA3-13/3/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA